संख्याः ११ / XXIV–2/2005

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरॉचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनॉक 28 जनवरी,2005

विषयः राजीव गॉधी नवोदय विद्यालय हरिद्वार के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः नियोजन–4/38379/रा0गा0न0वि हरिद्वार /2004–05 दिनॉक 18–1–2005 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या 845/ XXIV–2/2004 दिनॉक 15–12–2004 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राजीव गॉधी नवोदय विद्यालय हरिद्वार के भवन के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू0 1160.49 लाख के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0 200.00 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि में से रू0 960.49 के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में रू0 264.00लाख (रूपये दो करोड चौसठ लाख मात्र) की धनराशि को प्रश्नगत योजना में शासनादेश संख्याः 588/ XXIV–2/2004 दिनॉक 27–8–2004 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 800.00 लाख में से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– प्रश्नगत स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन है:–

(1). आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृत हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2). कार्य की समस्त परिकल्पनाओं की स्वीकृति मुख्य अभियन्ता से ली जाय तथा विशिष्टियों में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाय इस का पूर्ण उत्तरदायित्व अधिक्षण अभियन्ता का होगा। आवासीय भवनों का निर्माण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

(3). एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(4). कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिक्तांए, तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(5). आगणन में जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गयी है व्यय उन्हीं मदों पर किया जाय, एक मद की राशि दूसरें मदों पर कदाचित व्यय न की जाय।

(6). कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

(7). कार्य करने से पूर्व स्थल का संयुक्त निरीक्षण भूगर्ववेत्ता से करा दिया जाय एवं भूगर्ववेता द्वारा दी गई राय एवं निरीक्षण टिप्पणी के आधार पर ही कार्य किया जाय तथा भूकम्प उपचारों को ध्यान में रखा जाये, ताकि बाद में किसी प्रकार की बाधायें उत्पन्न न हो।

(8). निर्माण कार्य पर प्रयोग की जाने वाली समस्त सामग्री को प्रयोग करने से पहले निर्माण सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाय, तथा परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री का ही प्रयोग किया जाय।

(9). निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं / विशिष्टियों में बदलाव आता है तो उस दशा में शासन की स्वीकृति आवश्यक होगी।

(10). निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू–भार की गणना आवश्यक है, नींव के भू –भार की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाए।

(11). निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 15 तारीख तक निर्माण संस्था द्वारा विभागाध्यक्ष / संस्था को उपलब्ध कराये जायेंगे।

3– निर्माण कार्य की गुणवत्ता के लिए कार्यदायी संस्था के संबंधित अभियन्ता उत्तरदायी होंगें।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखा शीर्षक " 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा –आयोजनागत –202–माध्यमिक शिक्षा –16–राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय के भवनों का निर्माण–24– वृहत निर्माण कार्य " के नामें डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभागके अशासकीय संख्या– 385/वि0अनु04/05 दिनाँक 22/1/2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

संख्याः 91 (1)/ XXIV–2/2004 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराँचल, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4– मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गढवाल मण्डल–पौड़ी।
5– जिलाधिकारी, हरिद्वार।
6– कोषाधिकारी, हरिद्वार।

7- सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी (राजकीय निर्माण निगम)।
8- वित्त विभाग / नियोजन प्रकोष्ठ।
9- कम्प्यूटर सेल(वित्त विभाग)
10- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव